



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092024-256875  
CG-DL-E-03092024-256875

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3434]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2024/भाद्र 12, 1946

No. 3434]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2024/BHADRA 12, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2024

सं. 26/2024-2025

विषय: वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा रेड सैंडर्स वुड का निर्यात-समय बढ़ाने के संबंध में।

**का.आ. 3764(अ).**—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचना सं. 44/2015-2020 दिनांक 17.11.2022 के साथ पठित अधिसूचना सं. 35/2015-20 दिनांक 07.10.2021 में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ओडिशा सरकार लट्ठे के रूप में रेड सैंडर्स हर्ट वुड के निर्यात के तौर तरीकों को अंतिम रूप देगा और इस अधिसूचना की तिथि से 12 माह के भीतर उक्त निर्यात पूरा करेगा।
- अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

**इस अधिसूचना का प्रभाव:** वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ओडिशा सरकार को लट्ठे के रूप में रेड सैंडर्स हर्ट वुड के निर्यात के लिए इस अधिसूचना की तारीख से 12 माह का अतिरिक्त समय दिया गया है।

[फा. सं. 01/91/110/008/एएम-21/इसी/22128]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2024

No. 26 /2024-2025

**Subject: Export of Red Sanders wood by Forest, Environment & Climate Change Department, Government of Odisha - Extension of time regarding.**

**S.O. 3764(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, read with para 1.02 and Para 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Notification No. 35/2015-20 dated 07.10.2021 read with Notification No. 44/2015-2020 dated 17.11.2022 as follows -

1. Forest, Environment & Climate Change Department, Government of Odisha shall finalize the modalities for export of the Red Sanders Heart Wood in log form and shall complete the said Exports within 12 months from date of this Notification.
2. All other provisions shall remain unchanged.

**Effect of this notification:** Forest, Environment & Climate Change Department, Government of Odisha has been allowed additional time of 12 months from date of this Notification for Export of Red Sanders Heart Wood in log form.

[F. No. 01/91/110/008/AM-21/EC/22128]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade and Addl. Secy.